न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 41 / 2017

प्रार्थी :- सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. जबरकी पत्नी श्री जवानराम जाट
2. मुन्नालाल पुत्र श्री रूघाराम खाती कुम्पडास
3. सायर कंवर पत्नी चिमनसिंह
4. लाडकंवर पत्नी नाथुसिंह
5. सायरकंवर पत्नी चिमनसिंह
6. कमलादेवी पत्नी प्रकाशराम मेघवाल
7. जरीना बानो पत्नी ईशाक मोहम्मद
8. कमली पत्नी ओमप्रकाश मेघवाल
9. ईशाक पुत्र शकुर लुहार
10. मुन्नीदेवी पत्नी परसराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत

निर्णय ***दिनांक :-*** 6.10.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मेड़ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार राजस्व(ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र संख्या प–3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना मे भू–राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

अधिनियम की धारा भू–राजस्व अधिनियम की धारा भू–राजस्व (भू–अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत निवेदन है कि तहसील क्षेत्र मेड़ता के पटवार मण्डल फलौदी के राजस्व ग्राम शिवरामपुरा में शिवरामपुरा की सरहद से नागौर मेड़तारोड़ सड़क तक वर्षो से चल रहे कदिमी रास्ता/निजी खातेदारी भूमि से/राजकीय भूमि से रास्ता स्थाई रूप से चालु है। जिसमें क्रमशः निम्न व्यक्तियों की खातेदारी भूमि में से यह रास्ता बारहमासी चलता है किन्तु राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है। जिस पर डामर सड़क/मुडिया सड़क भी बनी हुई है। इस रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अंकन करना आवश्यक है।

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि
1.	जबरकी पत्नी जवानराम जाट	40	0.90	चा–2, बा–3	0.0325
2.	मुन्नालाल पुत्र रूघाराम खाती कुम्पडास, रहन एस.बी.बी.जे. मेड़तारोड़	41	1.49	चा–2, बा–3	0.0350
3.	सायर कंवर पत्नी चिमनसिंह	74	2.39	चा–2, बा–3	0.0500
4.	लाडकंवर पत्नी नाथूसिंह स्थगन श्रीमान एसडीएम साहब	73	3.10	चा–2, बा–3	0.0650
5.	सायरकंवर पत्नी चिमनसिंह	80	1.74	चा–2, बा–3	0.0425
6.	कमलादेवी पत्नी प्रकाशराम मेघवाल	81	2.91	चा–2	0.0660
7.	जरीना बानो पत्नी ईशाक मोहम्मद	79	4.79	गै.मु.ट्यू चा–2, बा–2	0.0550
8.	कमली पत्नी ओमप्रकाश मेघवाल	90	2.07	चा–2, बा–3	0.0600
9.	ईशाक पुत्र शकुर कोम लुहार	528/33	0.97	बी–3	0.0600
10.	मुन्नीदेवी पत्नी परसराम	74/459	0.89		0.0150

...ड अधिकारी
... (राज.)

Scanned by CamScanner

इस रास्ते को रेकर्ड में अंकन हेतु करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मय भू–अभिलेख निरीक्षक फलौदी की रिपोर्ट व पटवारी फलौदी की रिपोर्ट प्रस्तुत है। उक्त खसरा नम्बर का प्रभावित रकबा संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ते के अंकन के लिये पी 31 की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त रास्तों को राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाने की कार्यवाही करने की कृपा कराते हुए तरमीम के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 से 4 7 व 9 की ओर से वकील श्री भवानीसिंह ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 5 6 8 व 10 के नोटिस पर्याप्त तामिल के प्राप्त होने पर आवाज लगाई गई दिनांक 23.03.2017 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 6 कमलादेवी की ओर से वकील श्री महेन्द्र चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा जवाब पेश कर चालु रास्ते को रेकर्ड में अमल दरामद कर तरमीम का निवेदन किया। इसी प्रकार अप्रार्थी मुनकी ने भी इसी आशय का प्रार्थना पत्र पेश कर अमल दरामद चाहा है। वकील श्री भवानीसिंह ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में जो रास्ता दर्शाया है वो गलत दर्शाया है। सो मौके की सही वास्तविक स्थिति रेकर्ड पर लाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किया जावें इस पर कार्यालय पत्रांक राजस्व/17/1246 दिनाक 28.09.2017 को तहसीलदार मेडता को स्वयं मौका देखकर रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मेडता ने अपने पत्रांक भू–अभिलेख/2017/251 ए/954 दिनांक 06.10.2017 द्वारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस पेश की है, के अनुसार उन्होने स्वयं दिनांक 05.10.2017 को उक्त रास्ता का पटवारी हल्का मेड़तारोड़ के साथ मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण किया मौके की तथ्यात्मक स्थिति संलग्न नजरी नक्शा के संदर्भ में निम्नानुसार है :–

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

1. बिन्दू ए से बी तक कच्चीं रोड(मुडिया) बनी हुई है तथा उस पर किसी प्रकार का व्यवधान नही है।

2. मौके पर उपस्थित जीवनराम ने बताया कि बिन्दू संख्या बी से सी तक का रास्ता खसरा नम्बर 80 के खातेदार द्वारा आज से लगभग 4 माह पूर्व प्रथम नोटिस आने पर रेत की पाली लगाकर बंद कर दिया था। वर्तमान में उक्त जगह पर फसल बोई हुई है व खसरा नम्बर 80 व 81 के बीच बिन्दू बी से सी तक रेत की पाली(मेड) बनाई हुई है।

3. बिन्दू सी से डी, ई व एफ तक रास्ता चालु अवस्था में है लेकिन खसरा नम्बर 79 व 528/33 के खातेदार पत्नी–पति है। इनकी ढाणी बिन्दू डी व ई के बीच बनी हुई है। इसके अनुसार बिन्दू सी से एफ तक का रास्ता उनका व्यक्तिगत रास्ता है। यह सार्वजनिक रास्ता नही है।

4. बिन्दू जी से बी की दूरी लगभग 40 फीट है।

5. वर्तमान मौका स्थिति व रेकर्ड को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में बिन्दू ए से बी तक का रास्ता दर्ज किया जाना उचित रहेगा। अतः बिन्दू ए से बी तक का रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा की जाती है।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आदेश

तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2017/251 ए/954 दिनांक 06.10.2017 में बताये अनुसार बिन्दू संख्या ए से बी रास्ता घोषित किया जाता है। खातेदारी में खातेदार का नाम ही रहेगा परन्तु किस्म में गै.मु. रास्ता अंकित किया जायेगा। यह रास्ता सार्वजनिक उपयोग के काम में आयेगा तथा तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट/नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग होगा तथा ए से बी बिन्दू में रास्ते के उपयोग में आये रकबा की ही किस्म गै.मु. रास्ता रहेगी शेष भूमि की किस्म पूर्ववत रहेगी। तहसीलदार मेड़ता

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन कर नियमानुसार नक्शे में बाद जांच तरमीम करना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाक 6.10.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
महुवा (राज.)

Scanned by CamScanner